न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व वाद/29/2016

1. चुन्नीलाल पुत्र स्व. भाना
2. मंगेजा पुत्र स्व. भाना
   समस्त जाति दरोगा निवासीगण ग्राम भागूमील का बास पटवारी हल्का रहनावा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

–आवेदकगण

बनाम

1. रामेश्वर सिंह पुत्र स्व. भोमाराम
2. सज्जनसिंह पुत्र स्व. भोमाराम
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम भागूमील का बास पटवारी हल्का रहनावा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
3. शिवकरण सिंह पुत्र स्व. झाबरमल
4. रतनसिंह पुत्र स्व. झाबरमल
5. इन्द्र सिंह पुत्र स्व. झाबरमल
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम भागूमील का बास पटवारी हल्का रहनावा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
6. भूमिधारक जरिये तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर (राज॰)

–अनावेदकगण

7. करणसिंह पुत्र जगदीश उर्फ जगनसिंह जाति दरोगा निवासी ग्राम भागूमील का बास पटवारी हल्का रहनावा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

–परफोरमा अनावेदक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बाबत रिकार्ड दुरूस्ती

–:निर्णय:– **दिनांक–12.06.2018**

आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन में सक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह कि आवेदक संख्या 1 व 2 एवं अनावेदक संख्या 7 का पिता स्व. जगदीश उर्फ जगन सिंह, कृषि भूमि खसरा नम्बर संख्या 305 रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा वर्तमान राजस्व ग्राम भागूमील का बास पुराना राजस्व ग्राम रहनावा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार है। जिनका उक्त 16 बिघा 18 बिस्वा भूमि पर निरन्तर एवं निर्विवाद रुप से कब्जा रहा है तथा जगदीश उर्फ जगन सिंह के स्वर्गवास के पश्चात आवेदक संख्या 1 व 2 एवं मृतक खातेदार जगदीश उर्फ जगन सिंह, के वारिसान का निरन्तर एवं निर्विवाद रुप से कब्जा चला आ रहा है उक्त 16 बिघा 18 बिस्वा भूमि को हैक्टेयर प्रणाली में परिवर्तित किया जावे तो क्षैत्रफल 4.2800 हैक्टेयर बनता है। जिसमें 1/3 हिस्सा आवेदक संख्या 1 का एवं 1/3 हिस्सा आवेदक संख्या 2 का तथा 1/3 हिस्सा मृतक खातेदार जगदीश उर्फ जगन सिंह, के वारिसान का है।

यह कि अनावेदक संख्या 1 व 2 का पिता भोमाराम व अनावेदक संख्या 3 लगायत 5 के पिता झाबरमल के समान हिस्सा की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 301 रकबा 5 बिघा 9 बिस्वा वाके वर्तमान राजस्व ग्राम भागूमील का बास पुराना राजस्व ग्राम रहनावा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में ही अवस्थित है। जिसमें 1/2 हिस्सा अनावेदक संख्या 1 व 2 तथा शेष 1/2 हिस्सा अनावेदक संख्या 3 लगायत 5 बीधा 9 बिस्वा कृषि भूमि को हैक्टेयर प्रणाली में परिवर्तित किया जावे तो क्षैत्रफल 1.3800 हैक्टेयर बनता हैं।

यह कि पुराना खसरा संख्या 305 रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से ही आवेदकगण एवं अनावेदक संख्या 7 एवं उनके पूर्वज भाना से विरासतन कब्जा काश्त हक अधिकार में रही है। जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने पर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी अधिकारी प्राप्त हए। उक्त प्रकार से दर्ज खातेदारी का कोई विवाद पक्षकारान के मध्य नहीं है इसलिए खातेदारी के संबंध में विस्तृत अभिवचनों की आवश्यकता नहीं है।

यह कि आवेदकगण एवं अनावेदक संख्या 7 के पूर्वजों से आवेदकगण एवं अनावेदक संख्या 7 को प्राप्त कृषि भूमि खसरा संख्या 305 का क्षैत्रफल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से लेकर वर्तमान तक राजस्व नक्शा में एवं मौका पर 16 बीघा 18 बिस्वा निरन्तर चला आ रहा है। इसी प्रकार पुराना खसरा संख्या 301 रकबा 5 बिघा 9 बिस्वा का क्षैत्रफल भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व से लेकर वर्तमान तक, राजस्व नक्शा में एवं मौका पर 5 बिघा 9 बिस्वा निरन्तर चला आ रहा है तथा पुराना राजस्व ग्राम

रहनावा की जमाबंदी सम्वत् 2012 से 2013 में भी खसरा संख्या 301 का रकबा 5 बिघा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 305 का रकबा 16 बिघा 18 बिस्वा दर्ज है। इसी प्रकार प्रथम मिसल बन्दोबस्त जमाबंदी संवत 2012 से 2024 में भी खसरा संख्या 301 का रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा व खसरा संख्या 305 का रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा अंकित है एवं प्रथम सर्वेशीट में भी खसरा संख्या 301 व 305 का क्षैत्रफल क्रमशः 5 बीघा 9 बिस्वा व 16 बीघा 18 बिस्वा के अनुसार नक्शा बना हुआ है। जिससे यह प्रमाणित है कि खसरा संख्या 301 का रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा व खसरा संख्या 305 का रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा सदैव से ही रहा है परन्तु संवत् 2013 से 2016 की जमाबंदी में बिना किसी सक्षम आदेश के तत्कालीन हल्का पटवारी ने खसरा संख्या 301 का रकबा 9 बीस्वा व खसरा संख्या 305 की जमाबंदी में रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा अंकित कर दिया जिसका तत्कालीन हल्का पटवारी को अधिकार प्राप्त नहीं था। इन दोनों खसरा नम्बरान के क्षैत्रफल में किया गया परिवर्तन एक क्लरीकल मिस्टक है। उक्त क्लरीकल मिस्टेक उक्त जमाबंदी में हो जाने के पश्चात आगे की जमाबंदियों में भी इसी अनुसार क्षैत्रफल दर्ज होता रहा एवं कृषि भूमियों के बीघा प्रणाली के पुराना नाप को हैक्टियर प्रणाली में दर्ज किया गया तब खसरा संख्या 301 का क्षैत्रफल क्लरीकल मिस्टेक से अधिक दर्ज 9 बीघा 19 बिस्वा के अनुसार 2.52 हैक्टेयर व खसरा संख्या 305 क्षैत्रफल क्लरीकल मिस्टेक से कम दर्ज किया गया 12 बीघा 8 बिस्वा के अनुसार 3.14 हैक्टैयर, जमाबंदी में दर्ज कर दिया। इस प्रकार से खसरा संख्या 301 का ओरिजनल क्षैत्रफल 5 बीघा 9 बिस्वा में 4 बिघा 10 बिस्वा भूमि बढ़ाकर, 9 बीघा 19 बिस्वा (हैक्टेयर में 2.52 हैक्टेयर) एवं खसरा संख्या 305 का रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा कम करके 12 बीघा 8 बिस्वा (हैक्टेयर में 3.14 हैक्टेयर) बिना किसी सक्षम आदेश कें दर्ज कर दिया इस प्रकार से खसरा संख्या 301 का हैक्टेयर में रकबा 2.52–1=1.14 हैक्टेयर बढ़ा दिया व खसरा संख्या 305 का रकबा हैक्टेयर में 4.28–3.14=1.14 हैक्टेयर कम कर दिया जबकि खसरा संख्या 301 का क्षैत्रफल 1.38 हैक्टेयर होना चाहिए एवं खसरा संख्या 305 का रकबा 4.28 हैक्टेयर होना चाहिए। था इसलिये खसरा संख्या 305 का क्षैत्रफल 3.14 हैक्टेयर के स्थान पर 4.28 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 301 का क्षैत्रफल 2.52 हैक्टेयर के स्थान पर 1.38 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज किया जाना प्रार्थनीय है।

यह कि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में, बिना किसी सक्षम आदेश के प्रविष्टियों को हल्का पटवारी द्वारा परिवर्तित किया जाना क्लरीकल मिस्टेक है। जिसे दुरुस्त किया जाने का लैण्ड रिकार्ड ऑफिसर की हैसियत से माननीय न्यायालय हाजा को क्षैत्राधिकार प्राप्त है। जिस कारण आवेदन की सुनवाई का माननीय न्यायालय हाजा को क्षैत्राधिकार प्राप्त है। यह कि आवेदन 2/–रुपये न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है।

यह कि राजस्व रिकॉर्ड में बिना किसी आदेश की गई अशुद्धि को दुरुस्त करवाने में अनावेदक संख्या 1 लगायत 5 द्वारा एतराज करने एवं गलत राजस्व रिकॉर्ड की आड़ में आवेदकगण को जबरन बेदखल करने की दिनांक 16.10.2016 को धमकी देने एवं गलत राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अनावेदक संख्या 1 लगायत 5 नक्शा में संशोधन करवाने की धमकी देने के कारण रिकार्ड दुरुस्ती का आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। यह कि अन्य तर्क वर वक्त बहस अर्ज किये जायेगे।

अतः आवेदन मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार किया जाकर, वर्तमान राजस्व ग्राम भागूमील का बास पटवार हल्का रहनावा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में अवस्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 305 का रकबा 3.14 हैक्टेयर के स्थान पर 4.28 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 301 का रकबा 2.52 हैक्टेयर के स्थान पर 1.38 हैक्टेयर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज करने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन नोटिस प्रतिवादीगण को तलब किया गया व प्रकरण दुरूस्ती का होने से प्रकरण में तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को रिपोर्ट हेतु लिखा गया। प्रकरण में अनावेदकगण सं. 1 ता 5 कि ओर से उनके अभिभाषक ने उपस्थित आकर जवाब आवेदन पेश किया। जिसमें अनावेदकगण सं. 1 ता 5 ने मदवार जबाब में उल्लेख किया कि यह कि आवेदन की मद संख्या 1 में वर्णित कथन मिथ्या झूठे एवं निराधार होने के कारण अस्वीकार है जबकि आवेदक संख्या 2 मंगेजसिंह के नाम जमाबंदी खसरा नम्बर 305 रकबा 12 बीघा 8 बिस्वा सम्वत् 2012 से 2049 तक (रकबा 3.14 हैक्टेयर) का खातेदारी दर्ज थी। फिर नामांतकरण संख्या 454 के द्वारा चुन्नीलाल व जगदीश प्रसाद पुत्र भाना, के नाम दर्ज हुई है जबकि अप्रर्थी संख्या 1 ता 5 का खसरा नम्बर 301 का रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा सम्वत् 2012 से लेकर आज दिवस तक निरंतर रुप से कब्जा चला आ रहा है। यह कि आवेदन की मद संख्या 2 जिस तरह से तहरीर किया गया है गलत है अतः अस्वीकार है अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के पिता भोमाराम व 3 ता 5 के पिता झाबर की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 301 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा कदीम से सम्वत् 2012 से आज दिवस तक निरंतर निर्विवाद रुप से चली आ रही है। यह कि आवेदन की मद संख्या 3 जिस तरह से तहरीर किया गया है गलत है अतः अस्वीकार है प्रार्थीगण का कभी भी खसरा नम्बर 305 रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा पर कब्जा नहीं रहा है जबकि प्रार्थी मंगेज ने सीमाज्ञान दिनांक 08.01.2016 का खसरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नम्बर 305 की करवायी थी उक्त सीमाज्ञान व गिरदावर हल्का की रिपोर्ट में खसरा नम्बर 305 का रकबा 3.14 हैक्टेयर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 का, खसरा नमबर 301 का रकबा 2.52 हैक्टेयर पाया गया। यह कि आवेदन की मद संख्या 4 गलत है अतः अस्वीकार है जबकि तहसीलदार महोदय लक्ष्मणगढ़ का दिनांक 24.03.2016 की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि अप्रार्थी के पूर्वज झाबर पुत्र भाना का खसरा गिरदावरी सम्वत् 2011 से 2014 में खसरा नम्बर 305 का कुल रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा जिसमें उपकृषक के कॉलम में झाबर पुत्र भाना जाट का रकबा 5 बीघा 5 बीस्वा दर्ज है एवं गिरदावर हल्का की रिपोर्ट में भी भागू मील का बास ग्राम रहनावा से नवसृजित हुआ है, मूल राजस्व ग्राम रहनावा के नक्शे लठ्ठे में खसरा नम्बर 305 में से कम किये गये रकबे 4 बीघा 10 बीस्वा क सीमा रेखा सुर्ख स्याही से दर्शायी हुई है परन्तु नवसृजित राजस्व ग्राम भागू मिल का बास के नये नक्शे सहवन से नहीं दिखाया गया है। यह कि आवेदन कि मद संख्या 4 पुनः लिखा गया है। जो गलत होने से अस्वीकार है। यह है कि आवेदन कि मद संख्या 5 कानूनी है। जवाब कि मोहताज नहीं है। यह है कि आवेदन कि मद संख्या 6 गलत है। स्वीकार नहीं है।प्रार्थीगण को किसी तरह कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 द्वारा कभी कोई धमकी नहीं दी गई इसलिये किसी प्रकार का कोई कारण पैदा नहीं हुआ। यह है कि आवेदन कि मद संख्या 7 गलत है। अतः प्रार्थीगण किसी प्रकार कि सहायता करने के अधिकारी नहीं है।

उक्त प्रस्तुत जवाब के साथ काउण्टर आवेदन भी पेश किया जिसमें उल्लेखित किया कि यह है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 कि खातेदारी, कब्जे, काश्त की भूमि खसरा नम्बर 301 रकबा 2.52 हैक्टेयर वाके ग्राम भागू मील का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर अवस्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के पूर्वज झाबर वगै. कदीम से कब्जा, काश्त कर रहे है। मगर खसरा नम्बर 301 रकबा 2.52 हैक्टेयर का राजस्व नक्शें में आजतक तरमीम नहीं हुई इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के खसरा नम्बर 301 रकबा 2.52 हैक्टेयर का नक्शें तरमीम कर दुरुस्ती किया जाना प्रार्थनीय है। यह है कि प्रार्थी मंगेज के पूर्व अपनी भूमि खसरा नम्बर 305 रकबा 3.14 हैक्टेयर का सीमाज्ञान दिनांक 8.01.2016 को करवाया था उक्त सीमाज्ञान प्रार्थी का रकबा 3.14 हैक्टेयर किया फिर प्रार्थी ने पटवारी हल्का, गिरदार कि शिकायत जिला कलक्टर महोदय, सीकर को की थी। उक्त शिकायत माननीय एसडीओ साहब लक्ष्मणगढ़ द्वारा कि गई तो जांच रिपोर्ट एसडीओ साहब ने कर दिनांक 30.9.2016 को जिला कलक्टर महोदय, सीकर व सहायक भू–प्रबन्धक अधिकारी सीकर को भेजी की प्रार्थी मंगेज सिंह द्वारा शिकायत सारहीन एवं झूठी प्रतीत पायी गई तथा अप्रार्थी शिवकरण द्वारा एक आवेदन भू–प्रबन्ध अधिकारी सीकर को दिया गया तो एस ओ साहब ने ने ए.एस.ओ. पत्रावली प्रेषित कि उक्त प्रत्रावली में बाद सुनवाई कर दिनांक 09.06.2016 को यह कहते हुए कि सक्षम न्यायालय एस. डी. ओ. लक्ष्मणगढ़ में प्रकरण विचाराधीन है। इसलिये उक्त प्रकरण में इस कार्यालय द्वारा किसी प्रकार का रदोबदल रिकॉर्ड में किया जाना उचित नहीं है। इसलिये अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 की खातेदारी कब्जे, काश्त की भूमि खसरा नम्बर 301 रकबा 2.52 हैक्टेयर का राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाना अतिआवश्यक व न्याय सगत है।

अतः जवाब आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत दुरुस्ती प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 कि आराजी खसरा नम्बर 301 रकबा 2.52 हैक्टेयर वाके ग्राम भागू मिल का बास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के राजस्व नक्शें में तरमीम कर दुरुस्ती किया जावें।

पत्रावली आज पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प डूडवा में पेश हुई। प्रकरण में तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में अनावेदक सं. 7 एक परफौर्मा अनावेदक के रूप में है जिसकी तलबी की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का भी अवलोकन किया। साथ ही प्रकरण में तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट आदि का भी गहनता से अवलोकन किया। जिसमें स्पष्ट अंकित किया गया है कि ''खसरा नम्बर 305 व 301 वाके ग्राम भागूमील का बास का रकबा संवत 2012 आधार वर्ष की जमाबंदी के अनुसार ही होने से विषयांकिज आवेदनानुसार रकबे से कोई संशोधन होना अपेक्षित नहीं है।'' इस बाबत कैम्प स्थल पर मज्मे–आम व सरपंच, ग्राम पंचायत से भी प्रकरण के बारे में पूछताछ आदि की गई। जिसमें पत्रावली में वर्णित तथ्यों, प्रस्तुत तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ की रिपोर्ट, प्रस्तुत दस्तावेजात व पत्रावली के अवलोकन के बाद आवेदक का आवेदन साबित नहीं होने से खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:आदेशः–

अतः आवेदक का आवेदन साबित नहीं होने व विधिसम्मत नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर केम्प डूडवा में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)